बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

असाधारण आम बैठक

शनिवार 24 मार्च, 2012

प्रातः 11.00 बजे

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Saturday 24th MARCH, 2012

11.00 A.M.

प्रधान कार्यालयः
स्टार हाउस, सी-5 ''जी'' ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुबंई - 400 051.

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

HEAD OFFICE:
STAR HOUSE, C 5 ,G BLOCK
BANDRA KURLA COMPLEX,
BANDRA (EAST),
MUMBAI - 400 051

विषय सूची / CONTENTS

क्र.सं. Sr.No.	विषय Subject	पृष्ठ सं. Page No.
1.	सूचना	1
	Notice	5
2.	टिप्पणियाँ	2
	Notes	6
3.	व्याख्यात्मक विवरण	3
	Explanatory Statement	7
4.	परोक्षी फार्म	9
	Proxy Form	10
5.	उपस्थिति पर्ची	11
	Attendance Slip	12

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यों की असाधारण आम बैठक शनिवार दिनांक 24 मार्च 2012 को प्रातः 11.00 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051 में निम्नलिखित विशेष कारोबार हेतु की जाएगीः

विचारार्थ तथा यदि समुचित पाया गया तो, एक विशेष प्रस्ताव के रूप में, आशोधन सहित या बिना आशोधन के, निम्नलिखित प्रस्ताव को पारित करने हेतुः

यह संकल्प पारित किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर तथा बैठकें) के विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के अनुमोदन सहमति, स्वीकृति के अध्यधीन, यदि कोई हो और/या आवश्यक अन्य प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में और उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए विनिर्धारित ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन और जो बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मण्डल को स्वीकार्य हो और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी तथा प्रकटन आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विनिर्धारित विनियमों के अध्यधीन समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध शेयर करार के अध्यधीन, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक बोर्ड को प्रदान की गई है, ऐसा समझा जाएगा (इसके बाद जिसे बोर्ड कहा गया है जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, बोर्ड द्वारा गठित की गई या इसके बाद गठित की जाएगी ऐसी समिति शामिल है)।

(ए) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के विनियम 76(1) आईसीडी विनियम के अनुसार भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) के लिए अधिमानी आधार पर बोर्ड द्वारा विनिर्धारित ऐसे निर्गम मूल्य के नकद हेतु प्रत्येक ₹ 10/- (केवल रुपये दस) के 2,75,00,000 इक्विटी शेयर सृजित, प्रस्तावित, जारी और अबंटित करने के लिए।

(बी) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड आईसीडीआर विनियम 76(4) के अनुसार अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और/या एलआईसी की विभिन्न योजनाओं के अनुसार बोर्ड द्वारा ऐसे निर्गम मूल्य पर नकद के लिए प्रत्येक ₹ 10/- (केवल रुपये दस) के 2,73,00,000 इक्विटी शेयर सृजित, प्रस्तावित, जारी और आबंटित करने के लिए।

''संकल्प पारित किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण के लिए 23 फरवरी 2012 संबंधित तारीख है।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं या उनका अनुमोदन, सहमति, अनुमति और जारी करने/प्रदान करने और निर्गम की स्वीकृति, आबंटन और उनके सूचीबद्ध करने और या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित या लागू प्रस्ताव में किसी प्रकार के आशोधन को स्वीकार करने के लिए बोर्ड को प्राधिकार और शक्ति होगी।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित शेयर बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ समरूप श्रेणी में होंगे और घोषित लाभांश यदि कोई हो, ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश के लिए पात्र होंगे।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य के लिए बोर्ड को अधिकार होगा और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे कार्य, विलेख, मामले और विषय, जिसे अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक उचित और वांछनीय समझे तथा किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका जो इक्विटी शेयर के संबंध में आ सकती है, निपटारा करे और इसके अलावा ऐसे सभी कार्य विलेख, मामले, विषय निपटाये और सभी दस्तावेज और लेख निष्पादित करे, जो यथा आवश्यक, वांछनीय, सामयिक हैं जिसे अपने पूर्ण विवेक से शेयरधारकों से और सहमति या अनुमोदन लिए बिना या यह आशय समझा जाए कि शेयरधारक ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रुप से अपना अनुमोदन दे दिया है।

यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि निदेशक मण्डल को इसमें प्रदत्त सभी या किसी शक्ति से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या बैंक के किसी अधिकारी को जैसा ठीक समझे, उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रत्यायोजन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता.

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.02.2012

(आलोक मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणियाँ

1. इस बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान करने के पात्र शेयरधारक स्वयं के बदले उपस्थित रहने तथा मतदान के लिए परोक्षी की नियुक्ति कर सकता है और परोक्षी का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। सोमवार, 19 मार्च 2012 को कारोबार समय समाप्त होने के समय अपराह्न 4.30 बजे अथवा उसके पहले परोक्षी फार्म प्रधान कार्यालय को अवश्य दिया जाए जिससे वह वैध एवं प्रभावी हो सके।
2. बैंक के शेयरधारक कंपनी अथवा निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में किसी भी व्यक्ति को बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान करने का हक नहीं होगा जब तक उन्हें विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति के संकल्प की सत्य प्रति, जिस बैठक में पारित हुई, उसके अध्यक्ष से सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित, बैंक के प्रधान कार्यालय में सोमवार, 19 मार्च 2012 के कारोबार समय समाप्त होने के समय अपराह्न 4.30 बजे अथवा उसके पहले दी जानी चाहिए।
3. शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें तथा बैठक स्थल पर जमा करें। शेयरधारकों के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर, जैसा भी मामला हो, ''परोक्षी''अथवा ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' का उल्लेख करें।
4. व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण और शिकायत निवारण के लिए वे बैंक या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मे. शेयर प्रो सर्विसेज (आई) प्रा.लि.को निम्नलिखित पते पर लिखें:

   कंपनी सचिव
   बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय,
   स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक,
   बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
   फोनः 66684444
   ई-मेलः Headoffice.share@bankofindia.co.in

   बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स :
   मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि.
   यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,
   13 एबी समहिता वेयर हाउसिंग कॉम्पलेक्स,
   निकट अंधेरी कुर्ला रोड,
   साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,
   साकीनाका, अंधेरी (पूर्व),
   मुंबई - 400 072.
   टेलीफोनः 022-67720300 / 67720400
   फैक्सः 022-28591568
   ई-मेलः boi@shareproservices.com

व्याख्यात्मक विवरण

सेबी (एसईबीआई आईसीडीआर विनियमन) अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटन

1. बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी, ₹ 3000 करोड़ व बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 546.48 करोड़ है।

2. आपके बैंक ने वर्ष 1997 में प्रारंभिक पब्लिक ऑफर के माध्यम से ₹ 35/- प्रत्येक के प्रीमियम पर ₹ 10/- प्रत्येक के 15 करोड़ इक्विटी शेयरों को जारी कर कुल ₹ 675 करोड़ की पूंजी जुटाई थी। बैंक ने आगे फरवरी, 2008 में क्वालिफाईड इंस्टीट्युशन्स प्लेसमेंट के माध्यम से कुल ₹ 1359.81 करोड़ के ₹ 350/- प्रत्येक के प्रीमियम पर 3,77,72,600 इक्विटी शेयर जारी किए। बैंक ने इसके आगे मार्च 2011 में प्रवर्तक (जीओआई) को अधिमानी आधार पर ₹ 464.07 के प्रीमियम पर ₹ 10/- प्रत्येक के 2,13,04,870 इक्विटी शेयर कुल ₹ 1010 करोड़ के जारी किए। वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर होल्डिंग ₹ 359.88 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 65.86% है। 31 दिसंबर, 2011 तक पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियां निम्नानुसार है:.

विवरण (31.12.2011 को)	राशि रु. करोड़ों में	पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियों का %
जोखिम भारित आस्तियां	2,23,630	
टियर-I पूंजी	17,117	7.65
टियर- II पूंजी	7,898	3.53
कुल पूंजी	**25,015**	**11.18**

3. बैंक पिछले कई वर्षों से 20% की औसत वृद्धि दर पर तीव्र गति से विकास कर रहा है। लंबी अवधि के संसाधन जुटाने एवं सामान्य उधार प्रयोजनों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम से कारोबार विस्तार करने हेतु निधियों की वृद्धिशील आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैसाकि निदेशक मण्डल विनिश्चित करे, आज की तारीख तक यथा संशोधित (''सेबी आईसीडीआर विनियमन'') भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार बैंक, भारत सरकार और बीमा निगम और/या उनकी विभिन्न योजनाओं के लिए इक्विटी शेयरों के अधिमानी निर्गम के माध्यम से निधि में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव करता है।

4. वर्तमान संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है, ताकि बैंक का निदेशक मंडल उपर्युक्त उल्लिखित अधिमानी इश्यू एवं आबंटन कर सके।

5. सेबी आईसीडीआर विनियमन (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के निम्न विवरण का प्रकटन किया जा रहा है।

I. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के लक्ष्य :

बासेल (II एव III) में पूंजी पर्याप्तता से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा ही पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने बैंकों में अतिरिक्त शेयर पूंजी लगाने का प्रस्ताव रखा है। बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सहारा देने तथा बैंक के सामान्य कारोबार की जरुरतों को पूरा करने के लिए इस बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग किया जाएगा।

II. प्रस्ताव का समर्थन करने वाले इश्यू के प्रवर्तकों/निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों का प्रस्ताव

प्रस्तावित इक्विटी शेयर का अभिदान भारत सरकार - बैंक के प्रवर्तक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम व उसकी योजनाएँ करेंगी।

III. प्रस्तावित अधिमानी प्रस्ताव के पूर्व और पश्चात शेयर होल्डिंग पैटर्न :

क्रमांक	शेयरहोल्डर का नाम	शेयर की संख्यानुसार पूर्व-आबंटन यथा 31.12.2011	पूर्व आबंटन में प्रदत्त पूंजी %	शेयरों की संख्यानुसार पोस्ट आबंटन	पोस्ट आबंटन प्रदत्त पूंजी का %
1.	प्रवर्तक समूह भारत के राष्ट्रपति	35.99	65.86	38.74	64.43
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	4.88	8.93	7.61	12.66
3.	अन्य शेयर धारक	13.78	25.21	13.78	22.91
	कुल	**54.65**	**100.00**	**60.13**	**100.00**

IV. समयावधि जिसके भीतर यह अधिमानी इश्यू पूर्ण होगा:

शेयर होल्डरों द्वारा संकल्प पारित होने के 15 दिनों के भीतर आबंटन होगा बशर्ते आबंटन का समय किसी रेग्युलेटरी प्राधिकारी द्वारा ऐसे आबंटन हेतु प्राप्त किए जाने वाले अनुमोदन के समय से बढ़ा हुआ हो।

V. **प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान एवं उनके द्वारा रखी जा सकने वाली पोस्ट अधिमानी पूंजी तथा अधिमानी इश्यू के परिणामस्वरुप जारीकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो :**

प्रस्तावित आबंटतियों की पहचान	आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या	इश्यू के बाद / आबंटन का %
भारत के राष्ट्रपति	2,75,00,000	4.57
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	2,73,00,000	4.54

बैंक के वर्तमान प्रवर्तक अर्थात भारत के राष्ट्रपति का बैंक के ऊपर नियंत्रण जारी रहेगा तथा प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणामस्वरुप बैंक के प्रबंधन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

VI. प्रस्तावित अधिमानी इश्यू का मूल्य निर्धारण

निर्गम का मूल्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आईसीडीआर) विनियमन 2009 के अध्याय VII में उल्लिखित अधिमानी इश्यु हेतु यथा लागू तथा अद्यतन संशोधित विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

VII. सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणनः

मेसर्स करनावट एंड कं., सनदी लेखाकार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह प्रमाणित किया है कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अनुसार शेयर निर्गमित किए जा रहे हैं। 24 मार्च, 2012 को बैंक की असाधारण आम बैठक में उपर्युक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराई जाएगी।

VIII. लॉक इन अवधिः

अधिमानी इश्यू हेतु सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रर्वतकों अर्थात भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित शेयर आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवरूद्धता अवधि के अध्यधीन होंगे।

एलआईसी को आबंटन हेतु प्रस्तावित शेयर, आबंटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक्ड-इन रहेंगे।

- भारत सरकार की पूरी प्री-प्रिफोन्शियल होल्डिंग, इक्विटि शेयरों के आबंटन की तारीख से छः महीनों के लिए लॉक्ड रहेंगी।
- स्टॉक एक्स्चेजों, जहाँ बैंक के इक्विटि शेयर लिस्टेड हैं, के साथ किए गए लिस्टिंग करार में निर्धारित शर्तों के अनुसार बैंक, इक्विटि शेयरों की लिस्टिंग की शर्त का लगातार अनुपालन कर रहा है।
- संगत तारीख से पहले के छः महीनों में भारत सरकार ने बैंक का कोई भी इक्विटि शेयर बेचा नहीं है। जनहित वाली एक कंपनी होने के नाते संगत तारीख से पहले के छः महीनों की अवधि के दौरान, इक्विटि शेयर न बेचने से संबंधित विनियम 72(2) के विनियम से, एलआईसी को छूट है।

IX. उल्लिखित आबंटन के परिणाम

आबंटिती को उन्हें आबंटित किए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में बैंक में मतदान का अधिकार होगा एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के उपबंधों, जहां लागू हों, के अध्यधीन, उन्हें निम्नानुसार पात्रता होगी :-

''केंद्रीय सरकार के अलावा, संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, उनके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में संबंधित नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का एक प्रतिशत से अधिक मतदान के अधिकार का पात्र नहीं होगा।''

6. भारत में विभिन्न, स्टाक एक्सचेंजों सहित, जहां बैंक के इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं, बैंक द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 23 में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि जब अतिरिक्त शेयर्स के आबंटन द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी में वृद्धि की जानी प्रस्तावित हो, ऐसे शेयर्स, बैंक के वर्तमान शेयरधारकों को बैंक में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में अभिदान हेतु प्रथम प्रस्तावित किए जाएंगे, जब तक कि साधारण सभा में शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया गया हो। पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर आबंटित करने हेतु यह प्रस्तावित किया गया है, जो बैंक के वर्तमान शेयर धारकों को यथानुपात के अलावा हैं, उक्त प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव सेबी आईसीडीआर विनियन 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत भी अनिवार्य है।
7. आपके निदेशकों द्वारा आपके अनुमोदनार्थ प्रस्ताव अनुशंसित है।
8. विशेष संकल्प में किसी भी निदेशक की रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हस्ता.

(आलोक मिश्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23.02.2012

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the members of Bank of India will be held on **Saturday the 24th March 2012 at 11.00 AM at Bank of India Auditorium,** Star House, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051 to transact the following special business:

To consider and if thought fit, to pass the following resolution, with or without modifications, as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution)

A) To create, offer, issue and allot upto 2,75,00,000 equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at such Issue Price as may be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations aggregating upto ₹ 1,000 Crore on preferential basis to Government of India (President of India).

B) To create, offer, issue and allot upto 2,73,00,000 equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at such Issue Price as may be determined in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI ICDR Regulations on preferential basis to Life Insurance Corporation of India (LIC) and / or various Schemes of LIC.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is 23rd February, 2012."

"**RESOLVED FURTHER** THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board

Sd/-

Place : Mumbai
Date : 23.02.2012

(ALOK K MISRA)
Chairman & Managing Director

Notes

1. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER. PROXY FORMS IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE MUST BE DELIVERED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK ON OR THE CLOSING HOURS OF 4.30 P.M. ON MONDAY, 19TH MARCH, 2012.
2. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank on or before the closing hours of 4.30 p.m. on Monday, 19th March, 2012.
3. For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
4. The explanatory statement is annexed hereto.
5. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Sharepro Services (I) Pvt. Ltd. regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

   The Company Secretary
   Bank of India, Head Office,
   Star House, C – 5, 'G' Block
   Bandra Kurla complex, Bandra (East),
   Mumbai 400 051.
   Phone 66684444
   Email: headoffice.share@bankofindia.co.in

   Bank's Registrar and Share Transfer Agents:
   M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,
   Unit : Bank of India
   13 AB Samhita Warehousing Complex
   Off. Andheri Kurla Road
   Sakinaka Telephone Exchange Lane
   Sakinaka, Andheri East
   Mumbai - 400 072
   Tel : 22- 67720300 / 67720400
   Fax : 22 - 28591568
   E mail: boi@shareproservices.com

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII (SEBI ICDR Regulations)

1. The Bank is in the business of the banking and its related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is ₹ 3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is ₹ 546.48 crore.
2. Your Bank had raised capital by issue of 15 Crore equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 35/- each through Initial Public Offer aggregating ₹ 675 Crore in the year 1997. The Bank further issued 3,77,72,600 Equity Shares @ ₹ 10/- each at a premium of ₹ 350/- each aggregating ₹ 1,359.81 Crore through QIP Route in February, 2008. Further 2,13,04,870 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 464.07 aggregating ₹ 1010 crore were issued to the promoters (GOI) on a preferential basis in March 2011. Presently, the shareholding of Government of India in our Bank is ₹ 359.88 Crore, which constitute 65.86% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on 31.12.2011 is as under.

Particulars (As on 31.12.2011)	**Amount ₹ in Crore**	**% of capital funds to risk weighted asset**
Risk Weighted Assets	2,23,630	
Tier-I Capital	17,117	7.65
Tier-II Capital	7,898	3.53
Total Capital	**25,015**	**11.18**

3. The Bank is growing at a rapid pace at an average growth rate of 20% over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Preferential Issue of equity shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date to Government of India and Life Insurance Corporation of India and / or its various Schemes.
4. The present resolution is proposed to be passed in order to enable the Board of Directors of the Bank to make the above-mentioned preferential issue and allotment.
5. The following details of the proposed preferential issue are disclosed in accordance with the provisions of SEBI-ICDR Regulations - 2009.

I. Objects of the proposed Preferential Issue:

With a view to comply with BASEL (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. Government of India proposes to infuse additional equity capital into the Bank to strengthen the government owned financial institutions and banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

II. Proposal of the Promoters / Directors / Key Management Persons of the issue to subscribe to the offer:

The proposed offer of equity shares will be subscribed by Government of India – the Promoter of the Bank and the Life Insurance Corporation of India (LIC) and / or Schemes of LIC.

III. Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sr. No.	**Name of Shareholders**	**Pre-allotment in terms of No. of shares As on 31.12.2011**	**% of pre-allotment Paid Up Capital**	**Post allotment in terms of No. of Shares (Approx)**	**% of Post-allotment Paid Up Capital**
1.	Promoter Group The President of India	35.99	65.86	38.74	64.43
2.	Life Insurance Corporation of India (LIC)	4.88	8.93	7.61	12.66
3.	Other Shareholders	13.78	25.21	13.78	22.91
	Total	**54.65**	**100.00**	**60.13**	**100.00**

IV. The timeline within which the preferential issue shall be completed:

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment by any regulatory authority.

V. The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue :

Identity of the Proposed Allottees	No. of equity shares to be allotted (upto)	% of Post Issue/ Allotment
President of India	2,75,00,000	4.57
Life Insurance Corporation of India (LIC)	2,73,00,000	4.54

The existing promoters of the Bank i.e. The President of India will continue to vests their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment

VI. Pricing of the proposed Preferential Issue:

The Issue Price will be determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of the SEBI-ICDR Regulations as amended upto date.

VII. Certification from Statutory Auditors:

M/s. Karnavat & Co, Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Bank, have certified that the issue of shares is being made in accordance with the SEBI-ICDR Regulations. A copy of the said certificate will be available at the Extraordinary General Meeting on 24th March 2012.

VIII. Lock-in period:

As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of allotment.

The Shares proposed to allotted to LIC will be locked in for a period of one year from the date of allotment

- The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of allotment of equity shares.
- The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date. LIC being an insurance Company with Public Interest is exempt from the provisions of Regulation 72 (2) of the Regulations relating to non selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.

IX. **Consequential to the aforesaid allotment**

The Allottee will acquire voting rights in the Bank in the proportion to which the equity shares which are allotted to them and they will be entitled, subject to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970, where applicable, which states that -

"No shareholder of the corresponding New Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting right in respect of any shares held by them in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding New Bank."

6. Clause 23 of the the Listing Agreements executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI-ICDR Regulations 2009.
7. Your Directors recommend the resolution for your approval.
8. None of the Directors are interested in the Special Resolution.

By order of the Board

Sd/-

Place : Mumbai
Date : 23.02.2012

(ALOK K MISRA)
Chairman & Managing Director

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोलियो नं. _____
(यदि डीमेट न किया गया हो)

डीपी आईडी नं. _____
ग्राहक आई डी नं. _____
(यदि डीमेट किया गया हो)

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूं/ हैं और मैं/हम एतदद्वारा श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____राज्य _____ को या व न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से शनिवार दिनांक 24 मार्च, 2012 को आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठकमें और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।

माह _____ की _____ 2012 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर _____

नामः _____

पताः _____

_____

रसीदी टिकट

प्रथम /एकमात्र शेयर धारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
   क. एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
   ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
   ग. निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अॅटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रुप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।

   बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
4. बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
5. विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
6. परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

Bank of India
Relationship beyond banking

Head Office: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Folio No. _____
(if not dematerialised)

DP ID No. _____
Client ID No. _____
(if dematerialised)

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

I/We, _____ resident of _____

in the district of _____ in the state of _____

being a shareholder/shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt_____

_____ resident of _____ in the district of

_____ in the state of _____ or failing him/

her Shri/Smt. _____ resident of_____

in the district of _____ in the state of _____as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on Saturday 24th March 2012 and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of _____2012.

Signature of Proxy _____

Name _____

Address _____

_____

Revenue Stamp

Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney, duly authorised in writing.
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

   Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

प्रधान कार्यालयः स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

असाधारण आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र

दिनांकः 24 मार्च 2012, समयः प्रातः 11.00 बजे

बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

_____	_____	_____
पन्ना क्र./ग्राहक आईडी नं.	शेयरों की संख्या	उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी

प्रवेश पत्र

_____	_____	_____
पन्ना क्र./ग्राहक आईडी नं.	क्रम संख्या	शेयरों की संख्या

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/परोक्षियों अथवा प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिती पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी यदि आवश्यक समझा गया तो प्रवेश के बारे में फिर से सत्यापन/जांच की जा सकती है। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्र की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

पश्चलेख : बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जायेंगे।

Bank of India
Relationship beyond banking

HEAD OFFICE: Star House, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

ATTENDANCE SLIP – CUM - ENTRY PASS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date:24th March 2012, Time 11.00 AM

Bank of India Auditorium, Star House, 'C' 5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

Folio No./ Client ID No.:	No. of Shares	Signature of the shareholder / proxy / Representative present

---

Bank of India
Relationship beyond banking

ENTRY PASS

Folio No./ Client ID No	Serial No.	No. of Shares

Share holders/proxy holders or representatives are requested to produce this attendance slip – cum – entry pass, duly signed, for admission to the meeting hall. The entry pass portion will be handed back to the shareholders / proxy holders / representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum-entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting

GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE

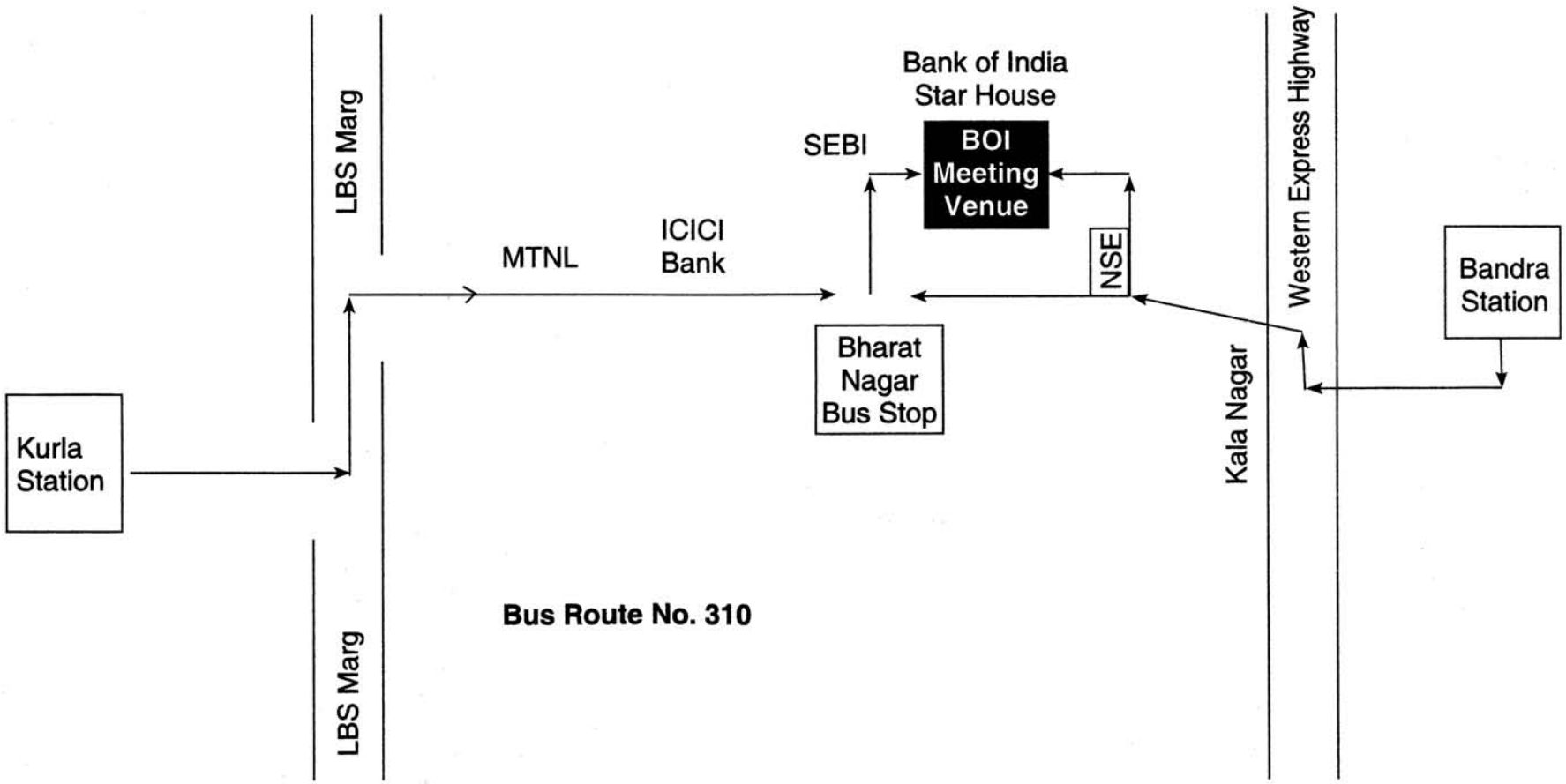

बुक - पोस्ट
Book - Post

Bank of India

Relationship beyond banking

सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं :

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस इंडिया प्रा.लि.
यूनिटः बैंक ऑफ़ इंडिया,
13 ए बी संहिता वेअरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स
ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड,
साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,
साकीनाका, अंधीरी (पूर्व), मुंबई - 400 072.

If undelivered, please return to :

M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.
Unit: Bank of India
13 AB Samhita Warehousing Complex,
Off. Andheri Kurla Road,
Sakinaka Telephone Exchange Lane,
Sakinaka, Andheri (East),
Mumbai - 400 072.